



अधिसूचना सं. 82/2024

NOTIFICATION NO. 82/2024

विषय: परिचालन विभाग के कर्मचारियों से 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) कोटा के तहत वेतन मैट्रिक्स लेवल -6 में अनुभाग नियंत्रक के पद को भरने के लिए पैनल का गठन। Formation of panel for filling up the post of Section Controller in Pay Matrix Level-6 against 25 % Limited Departmental Competitive examination(LDCE) Quota from staff of Operating Deptt.

रायपुर डिवीजन/एसईसीआर के परिचालन विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) कोटा के खिलाफ वेतन मैट्रिक्स स्तर -6 में अनुभाग नियंत्रक के चार (04) पदों को भरने के लिए एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है। पदों का विवरण इस प्रकार है: It is proposed to form a panel to fill up four (04) posts of Section Controller in pay matrix level -6 against 25% Limited Departmental Competitive examination(LDCE) Quota through staff of Operating Department of Raipur Division/SECR. The details of posts are as under:

Category	UR	SC	ST	Total
Section Controller	03	00	01	04

1. कर्मचारियों की पात्रता और सेवा शर्तें ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF :

a. पीसीपीओ/बीएसपी के L.No.P-HQ/RUL/105/3/O दिनांक 28.05.2021 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के पात्र और इच्छुक कर्मचारियों से विकल्प बुलाकर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

परिचालन विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 से लेवल-6 तक काम करने वाले सभी सेवारत स्नातक ग्रेड 'सी' कर्मचारी (मंत्रालयी के अलावा) पात्र हैं और जिन्होंने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बशर्ते उन्होंने पात्र ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। सभी फीडर श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 29-07-2024 को 40 वर्ष होगी। वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 के कर्मचारियों को पार्श्व स्थानांतरण माना जा सकता है। Application are invited by calling options from eligible and willing staff of following categories in terms of PCPO/BSP's L.No.P-HQ/RUL/105/3/O dated 28.05.2021.

All serving graduate Gr 'C' staff (other than Ministerial) in the traffic (transportation) Department working in Level-2 to Level-6 in pay matrix an have successfully completed period of probation are eligible. Provided they have completed two years regular service in the eligible grade. Upper age limit for all feeder categories shall be 40 years as on 29-07-2024. Employees of Pay Matrix Level-6 may treat as lateral movement.

b. Estt Srl.NO.53/2023 के संदर्भ में, सामान्य चयन के माध्यम से भरे गए पदों पर उनकी पदोन्नति/नियुक्ति पर रनिंग स्टाफ (ट्रेन मैनेजर) के वेतन निर्धारण के उद्देश्य से 30% वेतन तत्व की गणना का लाभ स्वीकार्य नहीं है। वेतन निर्धारण 'वेतन तत्व' को ध्यान में रखे बिना किया जाना चाहिए। In terms of Estt Srl.NO.53/2023, the benefit of reckoning of 30% pay element for the purpose of fixation of pay of running staff(Train Manager) on their promotion/appointment to the posts filled through General Selection in

not admissible. Pay fixation has to be effected without taking into account the 'Pay Element'.

- c. पात्रता की गणना 29-07-2024 यानी अधिसूचना जारी होने की तारीख से की जाएगी। Eligibility will be reckoned as on 29-07-2024 i.e. the date of issue of notification.
- d. ऑपरेटिंग विभाग के समूह 'सी' के उपरोक्त कर्मचारी जो एमएसीपी योजना के तहत उच्च ग्रेड वेतन में रखे गए हैं, लेकिन मूल ग्रेड वेतन/स्तर -2 से स्तर -6 में पद धारण कर रहे हैं, वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। Above Group 'C' staff of Operating Department who are placed in the higher Grade Pay under the MACP Scheme but are holding posts in substantive Grade Pay/Level -2 to Level-6 are also eligible to apply.
- e. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को आवेदन के साथ अपने जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी। The applicant of SC/ST must enclose their attested copies of caste certificate with the application.

नोट: उन कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने निचली वरिष्ठता पर अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण/अंतर मंडल अनुरोध स्थानांतरण पर इस मंडल में रिपोर्ट किया है/ज्वाइन किया है, पुरानी इकाई में प्रदान की गई सेवा को नई वरिष्ठता इकाई में पदोन्नति के लिए योग्यता सेवा के उद्देश्य से गिना जाएगा। बशर्ते: -

In respect of employees who have reported/joined on this division on Inter Railway request transfer/Inter Divisional request transfer on bottom seniority, the service rendered in the old unit will count for the purpose of qualification service for promotion in the new seniority unit provided: -

- a. अन्यथा वह मौजूदा नियमों के अनुसार समूह 'सी' पद पर चयन के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र है; और He/she is otherwise eligible to be considered for the selection to Group 'C' post as per extant rules; and
- b. वह जिस श्रेणी में पुरानी इकाई में कार्यरत था, वह नई इकाई में भी चयन/पद के लिए पात्र श्रेणी है। The category in which he/she was working in the old unit is an eligible category for the selection/post in the new unit also.

2. पाठ्यक्रम SYLLABUS:

संभावित पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रकाशन के लिए संलग्न है। The tentative syllabus is enclosed for wide publication amongst the staff concerned.

3. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया Procedure for written examination :

Mode of examination	Computer Based Test
Duration of examination	120 Minutes
Total number of questions	110 with multiple choice questions (includes 10 questions on Rajbhasha Policy) (Attempt any 100 only)
Date of examination/venue	It will be intimated separately
Whether negative marking	Yes. One third of the marks will be deducted for each wrong answer.

4. चयन का तरीका और अर्हक अंक MODE OF SELECTION AND QUALIFYING MARKS.

- a. व्यावसायिक योग्यता:- चयन के क्षेत्र में कर्मचारियों की व्यावसायिक क्षमता का मूल्यांकन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। कर्मचारियों को व्यावसायिक योग्यता में 60% अंक प्राप्त करने होंगे। Professional Ability: - The professional ability of the employees in the field of selection will be adjudged through written test. The employees must secure 60% of marks in professional ability.

- b. अनुभाग नियंत्रक का पद सुरक्षा से संबंधित होने के कारण, एससी/एसटी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों में कोई छूट नहीं होगी। उन्हें यूआर कर्मचारियों के समान लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। The post of Section Controller being a safety one, there will be no relaxation in qualifying marks for candidates belonging to SC/ST community. They have to obtain minimum of 60% in written test at par with UR employees.
- c. उन्हें व्यावसायिक योग्यता में न्यूनतम 60% के साथ-साथ कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने होंगे। अंतिम पैनल लिखित परीक्षा (व्यावसायिक योग्यता) और सेवा के रिकॉर्ड (जिसमें एपीएआर, पुरस्कार (रेलवे सप्ताह पुरस्कार समारोह के दौरान दिए गए), दंड के मामले में सेवा के रिकॉर्ड शीर्ष में उपयुक्त अंक काट लिए जाएंगे) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में तैयार किया जाएगा। सामान्य चयन होने के कारण रायपुर मंडल के ऑपरेटिंग विभाग की विभिन्न वरिष्ठता इकाइयों के उम्मीदवारों को चयन के लिए बुलाया जा रहा है। सामान्य चयन होने के कारण उम्मीदवारों का "उत्कृष्ट" के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। अपेक्षित मेडिकल यानी सी-1 पास करने के बाद ही उन्हें पैनल में शामिल किया जाएगा। They have to obtain minimum of 60 % in professional ability as well as 60% in aggregate. The final panel shall be drawn up in the order of merit based on aggregate marks secured in the written examination (Professional ability) and Record of service [which includes APAR, Awards (given during Railway Week Award function) etc. in case of punishment suitable marks will be deducted in the head of service record.] being General Selection since candidates from the different seniority units of Operating Department of Raipur Division are being called for selection. There will be no classification of candidates as "Outstanding" being General Selection.

विभिन्न शीर्षकों के बीच अंकों का वितरण Distribution of marks amongst various headings:

	Factors/Headings	Maximum Marks	Qualifying Marks
(1)	Professional ability	50	30
(2)	Record of Service	30	-
	Total	80	48

- d. यदि उन्हें पैनल में शामिल किया जाता है, तो उन्हें अनुभाग नियंत्रक के रूप में निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा, प्रशिक्षण के सफल समापन पर, उन्हें पे मैट्रिक्स (जीपी 4200) के लेवल -6 में अनुभाग नियंत्रक के रूप में अवशोषित/पदोन्नत किया जाएगा

In case they are empanelled, they have to undergo prescribed initial training as Section Controller, on successful completion of training; they will be absorbed/promoted as Section Controller in Level-6 of Pay Matrix (GP 4200).

5. परीक्षा की तिथि DATE OF EXAMINATION:

परीक्षा की तारीख, स्थान और समय अलग से सूचित किया जाएगा। हालाँकि, स्वयंसेवी कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वालों के लिए कोई पूरक परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि चयन स्वयंसेवकों को बुलाकर किया जाता है। The date, venue and time of examination will be intimated separately. However, it is to be advised to the volunteering staff that there will be no supplementary examination to the absentees in the examination, since the selection is by calling volunteers.

6. PRE-SELECTION COACHING FOR ST : एसटी के लिए चयन पूर्व कोचिंग:

- a. प्रशिक्षण की अवधि समान रूप से 3 सप्ताह निर्धारित है। The period of training is fixed uniformly for 3 weeks.

- b. प्रशिक्षण सभी एसटी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षण के लिए उनकी इच्छा/अनिच्छा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। The training is mandatory for all ST candidates. There is no need to obtain their willingness/unwillingness for such training.
- c. चयन में विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले पात्र एसटी उम्मीदवारों को बिना किसी असफलता के पूर्णकालिक आधार पर ऐसे प्रशिक्षण के लिए छोड़ दिया जाएगा। The eligible ST candidates coming under zone of consideration in the selection will be spared for such training on full time basis without fail.
- d. प्रशिक्षण में अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की उपस्थिति पत्रक उपरोक्त की पुष्टि हेतु कार्मिक शाखा को भेजा जाना चाहिए। The attendance sheet of ST candidates in the training should be sent to Personnel Branch for confirmation of above.
- e. पीसीपीओ/बीएसपी के एल.नं.पी-एचक्यू/आरयूएल/105/2 दिनांक 13.07.2023 के संदर्भ में, अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को प्री-प्रमोशनल प्रशिक्षण देना आवश्यक नहीं है, जब उन्हें सामान्य के अनुसार चयन के लिए उपस्थित होना आवश्यक हो। वरिष्ठता जिसमें कोई आरक्षित रिक्ति मौजूद नहीं है। In terms of PCPO/BSP's L.No.P-HQ/RUL/105/2 dated 13.07.2023, it is not necessary to impart pre-promotional training to SC candidates when they are required to appear for selection as per general seniority in which there is no reserve vacancy exists.

(Authority: PCPO/BSP' Lt. No.P-HQ/RUL/105/2/1251 dated 23-05-16 & 13-07-2023)

7. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS:

इच्छुक और योग्य स्वयंसेवकों को अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में अपने नियंत्रक पर्यवेक्षकों को **10-08-2024** को या उससे पहले जमा करने होंगे, जो **12-08-2024** को या उससे पहले आवेदनों को एक समूह में नियंत्रण अधिकारियों को भेज देंगे। नियंत्रण अधिकारी **13-08-2024** को या उससे पहले सभी आवेदनों को एक समूह में इस कार्यालय में अग्रेषित करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन में सभी प्रासंगिक कॉलम पूरी तरह से भरे जाने चाहिए और "एनए" दर्शाने वाले अनुपयुक्त कॉलम को काट दिया जाना चाहिए और आवेदन में जहां भी निर्दिष्ट हो, नियंत्रक पर्यवेक्षकों/अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और प्रमाणित किया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसा नहीं किया जाएगा। माना। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियंत्रण पर्यवेक्षकों/अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

The willing and eligible volunteers has to submit their applications in prescribed proforma to their controlling supervisors on or before **10-08-2024** who will forward the applications in one bunch to the controlling officers on or before **12-08-2024**. The controlling officer has to forward all the applications in one bunch to this office on or before **13-08-2024**. Applications received after the last date will summarily be rejected without assigning any reason.

It may be noted that all the relevant columns in the application should be filled completely & strike out the inapplicable columns indicating as "NA" and forward duly verified & certified by the controlling supervisors/officers wherever specified in the application or otherwise same will not be considered.

The applications received beyond the last date should not be entertained and rejected invariably by the controlling supervisors/officers and same will not be considered.

8. कर्मचारियों को सूचित करना: NOTIFYING TO THE STAFF:

रायपुर मंडल के परिचालन के पात्र कर्मचारियों के बीच इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। अधिसूचना की एक प्रति किसी विशिष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/छुट्टी/बीमार पर हैं उन्हें भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे समय पर अपने आवेदन जमा कर सकें। इस संबंध में औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधीनस्थ/पर्यवेक्षक की होनी चाहिए। आगे यह सलाह दी जाती है कि चयन के संबंध में प्राप्त कोई भी अन्य संचार अनिवार्य रूप से सभी पात्र कर्मचारियों को सूचित किया जाना चाहिए। इस संबंध में किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। Wide publicity should be given to this notification amongst the eligible staff of Operating Department of Raipur Division. A copy of notification should be displayed on a notice board at a conspicuous place. Staffs who are on deputation/leave/sick should also be notified to enable them to submit their applications in time. It should be the responsibility of senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect. It is further advised that any other communication received in respect of the selection should invariably be intimated to all the eligible employees. Any laxity in this regard will be viewed seriously.

9. सामान्य जानकारी GENERAL INFORMATION:

- a. उपरोक्त लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार को उचित पहचान ज्ञापन के साथ परीक्षा की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। To attend the above written exam, candidate is advised to attend on scheduled date of exam along with proper identification memo.
- b. यूनिट प्रभारी को सलाह दी जाती है कि वह उचित पहचान ज्ञापन के साथ कर्मचारियों को समय पर मुक्त कर दें। Unit in charge is advised to release the staff in time with proper identification memo.
- c. यदि उम्मीदवारों की ओर से किसी अनुचित साधन का उपयोग देखा जाता है, तो उन्हें परीक्षा हॉल छोड़ने के लिए कहा जाएगा और डीएआर के तहत कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। If use any unfair means is noticed from the candidates, they shall be asked to leave the examination hall and has to face action under DAR also.
- d. यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है तो बिना किसी सूचना के चयन के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। If any discrepancy is found at any stage in regard to the applicant the candidature is liable to be cancelled at any stage of selection without any information.
- e. लिखित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन से पहले सेवा रिकॉर्ड में अधिसूचना की तिथि से पिछले 03 वर्षों (अर्थात् 2021-22, 2022-23, 2023-24) का पुरस्कार/दंड शामिल/उन्नत किया जाना है, जिसके बाद पुरस्कार के अंक जोड़ने के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। Award/Punishment of preceding 03 years(i.e 2021-22, 2022-23,2023-24) from the date of notification to be included/upgraded in Service Record before publication of result of written examination after which claim for adding marks of award will not be considered.

प्रतिलिपि/Copy to: - सीनियर डीओएम/आर और सीनियर डीपीओ/ऑफिस/आर का नोटिस बोर्ड/Sr.DOM/R & Notice Board of Sr.DPO/Office/R.

**APPLICATION FOR SELECTION TO THE POST OF SECTION CONTROLLER IN PAYMATRIX LEVEL-6
AGAINST 25% LDCE OF OPERATING DEPARTMENT OF RAIPUR DIVISION SECR.**

1. Name of the Employees :
2. PF NO. :
3. Designation/Station :
4. Date of Birth :
5. Age as on 29-07-2024 : Year Months Days
6. Community (UR/SC/ST/OBC) :
7. Details of Initial Appointment
 - c. Date of Appointment :
 - d. Post :
- 8. Educational Qualification :**
9. Award conferred during the last three years(2021-22,2022-23,2023-24) (Railway Week)
 - d. Divisional Level (DRM Level)
 - e. Headquarter Level (PHOD/HOD)
 - f. GM/Railway Boards Level
10. Penalties imposed during the last three years(2021-22,2022-23,2023-24):
 - c. Minor
 - d. Major
11. Any other relevant information :

Fix Passport
size
photograph
with attested

Declaration: I hereby declare that the particulars furnished are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.I understand that, if at any stage it is found that the information furnished is false or incorrect or I do not satisfy/fulfil the eligibility criteria, my candidature/appointment on promotion is liable to be cancelled besides disciplinary action as per rules. I have read the content of the notification and agree to abide by the Rules, regulation and procedure prescribed for promotion to the post of Section Controller.

Date:

Signature of the Employee:

Name:

Design./Stn.

It is certificate that the particulars furnished by the employee are verified with the records available in this office and found to be correct. He fulfils the eligibility criteria as stipulated in the notification.

Date:

Signature of the controlling officer

Station:

Name

Design:

Office Seal

**Tentative syllabus for the post of Section Controller against 25% (LDCE) in
pay matrix Level-6**

(1)	राजभाषा से संबंधित विषय । Rajbhasha related topics.
(2)	सिग्नलिंग (विभिन्न प्रकार) और इंटरलॉकिंग । Signaling (various types) and Interlocking.
(3)	इंजनों, वैगन्स और कोचों के प्रकार और क्षमता । Types and Capacity of Locomotives, Wagons and Coaches.
(4)	शंटिंग और मार्शलिंग नियम । Shunting and Marshalling Rules.
(5)	सेक्शन नियंत्रक की ड्यूटी और जिम्मेदारियां । Duties & Responsibilities of Section Controller.
(6)	कार्य कर रहे ट्रेनों की प्रणाली । System of Trains working.
(7)	सतर्कता आदेश, सतर्कता बोर्ड और नोटिस स्टेशन । Caution Orders, Caution Boards & Notice Station.
(8)	दुर्घटनाओं का वर्गीकरण । Classification of Accidents.
(9)	नियंत्रक द्वारा संचालित ऑपरेटिंग रिकॉर्ड और रजिस्टर । Operating records and Registers maintained by the Controller.
(10)	ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स, सेक्शन की क्षमता, लाइन की क्षमता, थ्रू पुट, वर्किंग टाइम टेबल, बीपीसी, ऑटोमेटिक सिग्नल, इंटरचेंज, ओ.एच.ई. । Operating Statistics, Section capacity, Line capacity, Through put, Working Time Table, BPC, Automatic Signaling, Interchange, OHE.
(11)	सेक्शन में विभिन्न प्रकार के ब्लॉकों को अनुमति देने के नियम, साइडिंग कार्यचालन, ओडीसी की आवाजाही, आवागमन, प्रतिबंध संदेश, आबंटन और लोडिंग, एफओआईएस, सीओआईएस, टीएमएस, सीसी रैक, प्रीमियम रैक, इंटेंसिव रैक और ब्लॉक रैक, मशीन का कार्य । Rules of allowing various types of blocks in the Section, Siding works, movement of ODC, Schedule of traffic, Restriction message, Allotment and loading, FOIS, COIS, TMS, CC rake, Premium rake, Intensive rake and Block rake, working of Machines.
(12)	सामान्य ज्ञान (रेलवे, वर्तमान मामलों और संक्षिप्तियां) । General Knowledge (Railways, current affairs & abbreviations)
(13)	अवकाश नियम, दंड (शास्ति) आदि । Leave rule, Penalties etc.
(14)	मात्रात्मक रुझान (क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड) । Quantitative Aptitude.

Date:- 19.07.2024


**Sr. Divl. Operations Manager
S.E.C.Railway, Raipur**